

पत्र संख्या : 7ब/2702 गै०यो० ज०सं०-01/12-05

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निर्देशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निर्देशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 13.04.2012

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 50 लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	4292.200

कुल आवंटित राशि - रुपये बेयालीस करोड़ बेरानबे लाख बीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 7281.05 लाख (बहत्तर करोड़ एक्यासी लाख पाँच हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ऑंकार नाथ)
सहा. अभि.

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

hiD

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 05

रॉंची, दिनांक :- 13. 04. 2012

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/जमशेदपुर/सरायकेला/चाईबासा/गुमला/खूंटी/सिमडेगा/लातेहार/लोहरदगा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हुसैनाबाद/चतरा/हजारीबाग/रामगढ़/कोडरमा/गिरिडीह/धनबाद/बोकारो/देवघर/दुमका/गोड्डा/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 05

रॉंची, दिनांक :- 13. 04. 2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ऑंकार नाथ)

सहा. अभि.

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

मांग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02 भूजल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 05 दिनांक 13.6.12 का अनुलग्नक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2012-2013		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					विस्तृत शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विस्तृत शीर्ष-07-विधि प्रभार	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0		कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत			कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	आवृत्त राशि	6.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	11.90		
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रौंची	आवृत्त राशि	80.00	46.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	126.90		
3	योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3,रौंची	आवृत्त राशि	29.00	17.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	46.55		
4	लघु सिंचाई अंचल-चाईबासा	आवृत्त राशि	10.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	16.55		
5	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	आवृत्त राशि	24.00	17.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	41.55		
6	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	आवृत्त राशि	8.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	13.55		
7	लघु सिंचाई अंचल-मेदिनीनगर	आवृत्त राशि	14.00	9.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	23.55		
8	लघु सिंचाई अंचल-रौंची	आवृत्त राशि	43.00	26.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	69.55		
9	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	आवृत्त राशि	25.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	40.55		
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, दुमका	आवृत्त राशि	16.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	26.35		
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रौंची	आवृत्त राशि	75.00	45.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	120.35		
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	आवृत्त राशि	44.00	26.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	70.35		
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूंटी	आवृत्त राशि	93.00	55.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	148.35		
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	आवृत्त राशि	67.00	40.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	107.35		
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-गिरीडीह	आवृत्त राशि	67.00	40.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	107.35		
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	आवृत्त राशि	141.00	84.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	225.35		
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	आवृत्त राशि	88.00	53.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	141.35		
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-चतरा	आवृत्त राशि	75.00	44.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	119.35		
19	लघु सिंचाई प्रमंडल- चाईबासा	आवृत्त राशि	91.00	54.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	145.35		

सहायक अभियंता

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता

सुबोध कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव (अभिनो)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिनो)

प्रधान सचिव
(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक 05 दिनांक 13-4-2012

वित्तीय वर्ष 2012-2013			विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते							विस्तृत शीर्ष-02-	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-	विस्तृत शीर्ष-07-	राशि लाख रुपये में	
क्र.सं०	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	दफ्ती	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभिव्यक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
20	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	आवंटित राशि	109.00	65.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	174.35				
21	लघु सिंचाई प्रमंडल- जामताड़ा	आवंटित राशि	70.00	42.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	112.35				
22	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका	आवंटित राशि	191.00	114.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	305.35				
23	लघु सिंचाई प्रमंडल- धनबाद	आवंटित राशि	81.00	49.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	130.35				
24	लघु सिंचाई प्रमंडल-पाकुड़	आवंटित राशि	106.00	64.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	170.35				
25	लघु सिंचाई प्रमंडल- बोकारो	आवंटित राशि	76.00	45.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	121.35				
26	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	आवंटित राशि	71.00	46.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	117.35				
27	लघु सिंचाई प्रमंडल-रामगढ़	आवंटित राशि	87.00	53.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	140.35				
28	लघु सिंचाई प्रमंडल-राँची	आवंटित राशि	150.00	90.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	240.35				
29	लघु सिंचाई प्रमंडल-लातेहार	आवंटित राशि	61.00	35.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	96.35				
30	लघु सिंचाई प्रमंडल-लोहरदगा	आवंटित राशि	60.00	35.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	95.35				
31	लघु सिंचाई प्रमंडल-सरायकेला	आवंटित राशि	66.00	40.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	106.35				
32	लघु सिंचाई प्रमंडल-साहेबगंज	आवंटित राशि	109.00	64.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	173.35				
33	लघु सिंचाई प्रमंडल- सिमडेगा	आवंटित राशि	74.00	44.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	118.35				
34	लघु सिंचाई प्रमंडल- हजारीबाग	आवंटित राशि	88.00	53.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	141.35				
35	लघु सिंचाई प्रमंडल- हुसैनाबाद	आवंटित राशि	52.00	35.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	87.35				
36	लघु सिंचाई रूपांकण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल,दुमका	आवंटित राशि	6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	10.35				
37	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल-दुमका, शिविर देवघर	आवंटित राशि	75.00	44.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	119.35				
38	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची	आवंटित राशि	74.00	44.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	118.35				
39	निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय,राँची	आवंटित राशि	16.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	26.35				
40	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	आवंटित राशि	11.00	6.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	17.35				
41	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-राँची	आवंटित राशि	31.00	19.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	50.35				
42	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	आवंटित राशि	10.00	7.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	17.35				
	कुल आवंटन -		2670.00	1605.00	4275.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	4292.20				

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिले से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि- रुपये बेयालीस करोड़ बेरानबे लाख बीस हजार मात्र



(ऑफर नाथ)

सहायक अभियंता



(सुबोध कुमार सिन्हा)

विशेष सचिव



(एस0 के0 शतपथी)

प्रधान सचिव